

ट्रस्ट या संस्थान के लिये ऑडिट नियमों से संबंधित मसौदा अधिसूचना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पुरतयकुष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes-CBDT) ने किसी ट्रस्ट या संसुथान के लिये ऑडिट नियमों से संबंधित आयकर नियमों, 1962 के नियम 17B के संशोधन के लिये एक मसौदा अधिसूचना जारी की।

नोट:

- नियम 17B और फॉर्म संख्या 10B को आयकर नियम, 1962 (आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1973) में शामिल किया गया।
- नियम 17B में कहा गया है कि किसी भी टरसट अथवा संस्थान के लेखा के अंकेकषण की रिपोरट (Report of Audit) फॉरम संखया 10B में होगी।
- फॉरम संखया 10B के अंतर्गत ऑडटि रिपोर्ट के अलावा अनुलग्नक के रूप में 'ब्योरेवार रिपोर्टों का विवरण' (Statement of particulars) भी उपलबध कराया जाता है। he Vision

प्रमुख बद्धि

- चूँकि नियम और प्रपत्र को बहुत पहले अधिसूचित किया गया था, वर्तमान समय की आवश्<mark>यकताओं</mark> के साथ संरेखित करने के लिये इन्हें और अधिक तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।
- नया फॉर्म 10B कुछ इस तरह का है:
- प्राप्त विदेशी दान प्राप्त और दानकर्त्ताओं का विवरण भरना (जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत कटौती का दावा करने के लिये प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं);
- ॰ वह कानून जिसके तहत ट्रस्ट/संस्थान गठित की जाती है तथा आयकर अधिनियिम के तहत पंजीकरण;
- ट्रसट/संस्थान का उद्देश्य;
- आय का विवरण और आय का आवेदन;
- ॰ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, [Foreign Contribution (Regulation) Act-FCRA], 2010 के तहत पंजीकरण की स्थिति; तथा
- ॰ वभिनिन अन्य वविरणों के साथ लेखांकन नीति की विधि
- ट्रस्ट/संस्थान के मामले में 'सामान्य जनो<mark>पयोगी किसी</mark> अन्य वस्तु की उन्नति के रूप में वरगीकृत वस्तु के साथ मसौदा अधिसूचना में इस बात की जानकारी मांगी गई है कि कृया इस तर<mark>ह की गतवि</mark>धि वियापार, वाणिज्य, वयवसाय या सेवाओं के संबंध में उपकर, फीस आदि से संबद्ध है, इस तरह की किसी भी गतविधि से परापत रसीद के विवरण को फॉरम में भरा जाएगा।
- संशोधित 'विवरणों का विवरण' में ट्रस्ट के संचालन का वयापक विवरण देना होगा, जो यह सुनिशचित करेगा कि ट्रस्ट उपयुक्त प्रकरियाओं का अनुपालन कर रहा है।
- जहाँ किसी व्यावसायिक उपक्रम को 'ट्रस्ट के अधीन संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है, वहाँ प्रस्तावित फार्म में उक्त ट्रस्ट के संबंध में व्यापक वविरण और ऑडटि रपिोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता होगी।
- कर विशेषज्ञों के अनुसार, विभिन्न अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं से लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी क्योंकि अब उन्हें यह प्रमाणति करने की आवश्यकता होगी कि अनुलग्नक में दिये गए विवरण सही हैं या नहीं। इस प्रकार, निर्धारिती (Assessee) के साथ-साथ लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी भी महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएगी।

